BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. OF 2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 486/2024

(Under Section 25 of the National Green Tribunal Act, 2010)

IN THE MATTER OF:

Suddu **…Applicant**

Versus

Ministry of Environment Forest
and Climate Change **… Respondents**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PG. NO.
1.	Reply affidavit on behalf of respondents 2 to 5 in respose to the execution application	1-13
2.	**ANNEXURE R-1** A copy of the Uttar Pradesh Government Gazette Notification No. 24/LXXXI-5-2020-07-93 dated 07.01.2020	14-15
3.	**ANNEXURE R-2**	16-17

	True copy of the order dated 26.04.202 in OA No. 486/2024	
4.	**ANNEXURE R-3** True Copy of the action taken report dated 21.08.2024	18-63
5.	Proof of service	64

DRAWN AND FILED BY

Gaurav Kumar Bansal
Advocate
For
Applicant
A26, Basement
Jangpura Extension
New Delhi – 14

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. OF 2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 486/2024

(Under Section 25 of the National Green Tribunal Act, 2010)

NOTARIAL NOTARIAL

Ramendra Nath Tripathi NOTARY Govt of India Gorakhpur

IN THE MATTER OF:

Suddu **...Applicant**

Versus

Ministry of Environment Forest

and Climate Change... **Respondents**

Ramendra Nath Tripathi Gorakhpur Regd. No.-52394/2 Expiry Date-16/04/2030 NOTARY GOVERNMENT OF INDIA

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENTS 2 TO 5 IN RESPOSE

TO THE EXECUTION APPLICATION

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, MAHBOOB SAYEED aged about 57, son of Late MOHD HAMID ALI resident of Gazipur Khurd Gorakhpur do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That the deponent is Respondent No. 2 in the present Execution Application and is well verse with the facts and circumstances of the present case, hence is competent to file the present reply affidavit.

08-11-25
Ramendra Nath Tripathi
NOTARY
Govt of India Gorakhpur

2. That the Respondent No. 2 to Respondent No. 5 are the legal heirs of late Shri Hamid Ali, including the answering Respondent namely Shri Mehboob Saeed. Accordingly, Respondent No. 2 is filing the present reply to the Execution Application preferred by the Applicant.

3. That the present Execution Application is misconceived, devoid of merits, and is non-est in the eyes of law. The same is liable to be dismissed with exemplary costs, as the relief sought therein already stands complied with and, therefore, the Execution Application has rendered infructuous has been fully addressed by the Action Taken Report (ATR) dated 21.08.2024 submitted by the Divisional Forest Officer (DFO), Gorakhpur, and the Applicant's allegations are baseless, rendering the Application infructuous.

NOTARY
Ramendra Nath Tripathi
Gorakhpur (U.P.)
Regd.No.-92394/25
Expiry Date-16/04/2030
GOVERNMENT OF INDIA

4. It is well settled principle under law that the Execution Court cannot go beyond the decree i.e. the order of which the execution has been sought.It is a well-settled principle of law that an Execution Court cannot go beyond the scope of the order sought to be executed, as established in *Rahul S. Shah v. Jinendra Kumar Gandhi (2021) 6 SCC 418.*

5. That the averments and allegations raised in the Execution Application are denied in its entirety and no contents thereof shall be deemed to be

03-11-25
Ramendra Nath Tri...
NOTARY
Govt. of India Gorakhpur

admitted by the Respondents by reason of non-traverse or any other reason unless specifically admitted therein.

6. That OA No. 486 of 2024 was filed before this Honble Court wherein the following grievance was raised in the Original Applicantion:

> *"There was a garden in two acres of land at Araji No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed."*

NOTARY ★ Ramendra Nath Tripathi Gorakhpur (U.P.) Regd.No.-52394/25 Expiry Date-16/04/2030 GOVERNMENT OF INDIA

Without prejudice, the Respondents categorically deny these allegations. The Applicant, a former caretaker with no legal rights over the land, has

Ramendra Nath Tripathi
NOTARY
Govt. of India Gorakhpur

fabricated claims out of personal vendetta. No illegal felling of 75 guava trees occurred, as guava is an exempted species under the Uttar Pradesh Government Gazette Notification No. 24/LXXXI-5-2020-07-93 dated 07.01.2020, and the ATR confirms only 10 trees were felled lawfully or penalized prior to 28.03.2024. Further, the Respondents entered into a Builder's Agreement dated 08.02.2023 with Respondent No. 6 (Vikas Kejriwal), delegating construction responsibilities, absolving them of liability for alleged acts post-Agreement.

A copy of the Uttar Pradesh Government Gazette Notification No. 24/LXXXI-5-2020-07-93 dated 07.01.2020 is annexed herewith and marked as **Annexure R-1**.

7. That this Hon'ble tribunal vide its order dated 26.04.2024issued in OA. No. 486of 2024 has issued the following directions;

NOTARY Ramendra Nath Tripathi Gorakhpur (U.P.) Regd.No.-52394/25 Expiry Date-16/04/2030 GOVT. OF INDIA

> "*To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicialngt@gov.in*

Rmt 08/11/25
Ramendra Nath Tripathi
NOTARY
Govt. of India Gorakhpur

preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration."

True copy of the order dated 26.04.2024 is annexed herewith and marked asasAnnexure R-2.

8. That after the order of the Hon'ble Tribunal, a report dated 21.08.2024 was filed by DFO, Gorakhpur and the same also got uploaded on the website of this Honble Court on dated 23.08.2024.

True Copy of the report dated 21.08.2024 is annexed herewith and marked as AnnexureR-3.

9. That as per the report of the aforesaid DFO, an aggregate amount of □42,000/-, comprising □7,000/- for the first incident and □35,000/- for the second incident, has been duly deposited into the Government Treasury.The ATR confirms that only 10 trees were felled, i.e., 5 (1 Bael, 1 Teak, 3 Mango) under Permit No. 6587240 dated 25.10.2023, issued after assessment by the Superintendent, State Garden, Gorakhpur, and 5 additional trees (Mango and Neem) for which penalties were paid, fully resolving any minor infractions. The Applicant's claim of 75 guava trees

NOTARY Ramendra Nath Tripathi Gorakhpur (U.P.) Regd.No.-52394/25 Expiry Date-16/04/2030 GOVERNMENT OF INDIA

08-11-25
Ramendra Nath Tripathi
NOTARY
Govt. of India Gorakhpur

felled is false, and even otherwise guava is exempt under the Gazette Notification.

10. That it is clear from the said report that the state authorities after duly following the principle of natural justice has taken appropriate actions against the concerned persons hence, nothing survives in the present applicationhave taken appropriate actions, including site inspections and penalty imposition, confirming no illegal felling of 75 guava trees occurred. The Applicant failed to cooperate with the investigation despite notices dated 05.05.2024, 15.06.2024, and 10.07.2024, undermining his claims.

11. That on dated 27/09/2024 an Execution Application No. 40 of 2024 was filed wherein following prayers were made:

> "*1. Direct the Divisional Forest Officer (DFO), Gorakhpur, and other concerned authorities to submit a comprehensive and complete Action Taken Report (ATR) detailing all necessary steps undertaken in connection with the illegal felling of 75 mature, fruit-bearing guava trees, including penal actions against the violators, environmental impact assessment, and remedial measures, in compliance with this Hon'ble Tribunal's earlier orders.*

NOTARY Ramendra Nath Tripathi Gorakhpur Regd. No. -52... Expiry Date-16/04/202...

Ramendra Nath Tripathi NOTARY Govt. of India Gorakhpur 08-11-25

2. Impose heavy environmental compensation on the builder and other violators involved in the illegal tree felling, applying the "Polluter Pays Principle" as mandated under Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010, to ensure that the environmental damage caused is properly compensated. The compensation should reflect the full ecological value of the illegally felled trees and the environmental harm caused.

3. Order replantation of at least 200 fruit-bearing trees of indigenous species in and around the affected area as part of the remedial measures, following the principle of "restitution" for ecological damage. The replantation drive must be monitored by the Forest Department, and compliance reports should be submitted periodically to this Hon'ble Tribunal.

4. Issue appropriate directions to the Uttar Pradesh Forest Department and other concerned authorities to ensure the strict implementation of tree-felling regulations, including the process for obtaining felling permits under the Uttar Pradesh Government Gazette notification concerning prohibited species, to prevent future illegal tree felling activities.

5. Impose personal liability on the officials, including the Divisional Forest Officer (DFO) and local police officers, who

NOTARY
08-11-25
...mendra Nath ...
NOTARY
Govt. of India Gorakhpur

failed to prevent and report the illegal felling of trees, and initiate departmental proceedings or other legal actions against them for dereliction of duty, in line with the Supreme Court's judgment in Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India (1996) 5 SCC 281, which mandates accountability for officials involved in environmental violations.

6. Direct the local administration and law enforcement agencies to register an FIR against the violators involved in the illegal felling, including the builder, contractors, and any government officials complicit in the offense, as per

relevant sections of the Indian Penal Code and environmental laws and ensure that proper legal proceedings are initiated.

7. Invoke the "Precautionary Principle" and issue preventive directions to all authorities concerned to take immediate and proactive steps to safeguard trees and the environment in the region, ensuring that no further instances of illegal tree felling or environmental degradation occur, as mandated in A.P. Pollution Control Board II v. Prof. M.V. Nayudu (2001) 2 SCC 62.

8. Direct the authorities to immediately stop any ongoing or future construction activities on the land where illegal tree felling occurred, until the violators are held accountable, environmental

NOTARY Ramendra Nath Tripathi Gorakhpur (U.P.) Regd No.-52394/25 Expiry Date-16/04/2030 GOVT. OF INDIA

Ramendra Nath Tripathi
NOTARY
Govt. of India Gorakhpur

damage is restored, and all legal requirements, including environmental clearances, are fulfilled, in accordance with the principle of sustainable development upheld in Narmada Bachao Andolan v. Unionof India (2000) 10 SCC 664.

9. Appoint an independent commission, comprising environmental experts, to assess the full extent of ecological damage caused by the illegal felling of trees, and to monitor the implementation of restoration and replantation measures, ensuring transparency and accountability in the process, in line with the judgment in T.N. GodavarmanThirumulpad v. Union of India (1997) SCC 267, which emphasizes the necessity of expert involvement in environmental protection.

10. Grant any other relief, order, or direction that this Hon'ble Tribunal deems just, equitable, and proper in the interest of justice and environmental protection, including orders for the restoration of the area to its original condition, criminal prosecution of the violators, and strict enforcement of forest and tree protection laws."

The Respondents deny the validity of these prayers, as no illegal felling occurred, and the ATR fully complies with the Tribunal's order. The

08-11-25
Ramendra Nath Tripathi
NOTARY
Govt. of India Gorakhpur

Applicant's demands are baseless and exceed the scope of the original order.

12. That it is respectfully submitted that the paragraphs of the present Execution Application, are nothing but a challenge to the order under execution and hence are going beyond the scopeseek to reopen settled issues beyond the scope of the Tribunal's order dated 26.04.2024, which is impermissible under law. Therefore, vide the present Execution Application, the Applicant is seeking to reopen the grievances which are already settled by this Hon'ble Tribunal vide an order under execution and the same cannot be permitted in terms of the settled principles of law.

13. That all requisite actions have been duly undertaken by the Forest Department, including imposition of penalties and compounding of the alleged offences, in accordance with law. Therefore, nothing survives for adjudication, and the present Execution Application is liable to be dismissed.The Respondents submit that they are the lawful owners of the land at Araji No. 619, Khata No. 716, and on 08.02.2023, entered into a Builder's Agreement with Respondent No. 6 (Vikas Kejriwal) through Agrasen Relators & Developers Pvt. Ltd. for constructing a multi-storey building. No sale deed was executed; the Agreement (Clause 14) allocates

Ramendra Nath Tripathi
NOTARY
Govt. of India Gorakhpur

40% of the constructed building to the Respondents and 60% to Respondent No. 6 as compensation. Clause 2 assigns Respondent No. 6 responsibility for obtaining approvals, and Clause 5 mandates construction completion within 3-5 years post-approval. Clause 18 confirms the land is free of encumbrances. Post-08.02.2023, the Respondents' role was limited to ownership, and all operational responsibilities, including any tree-felling post-Agreement, shifted to Respondent No. 6, absolving the Respondents of liability for the alleged felling on 28.03.2024.

NOTARY Ramendra Nath Tripathi Gorakhpur (U.P.) Regd No. 32334/25 GOVERNMENT OF INDIA

14. Thus, it is crystal clear that in terms of the directions given in order under execution, the steps have been taken and therefore nothing survives in the present Execution Application. The Respondents acted in full compliance with the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976, and Gazette Notification dated 07.01.2020, which lists 29 protected species but exempts guava trees until 31.12.2025. Prior to the Agreement, Permit No. 6587240 dated 25.10.2023 authorized felling of 5 trees (1 Bael, 1 Teak, 3 Mango), assessed as dry and diseased. The ATR confirms only 10 trees were felled, with penalties of Rs. 42,000 paid, resolving all issues. The Applicant's claim of 75 guava trees felled is false, as guava requires no permit, and no evidence supports such felling under the Respondents' control.

08-11-2025
Ramendra Nath Tripathi
NOTARY
Govt. of India Gorakhpur

15. That from the above-mentioned facts, it is clear that the answering Respondent has also complied with all the directions issued by the authorities concerned and as such nothing remained in the present application.The Applicant, a former caretaker, has no legal rights over the land and filed this Application out of malice after his tenure ended before the Agreement. The Respondents deny any collusion, environmental damage, or non-compliance. The ATR and Gazette Notification exonerate them, and post-08.02.2023, Respondent No. 6 assumed responsibility

16. That the present Execution Application is misconceived, devoid of merits, *non est* in the eyes of law and liable to be dismissed with exemplary costs. The present application appears to have been instituted with the primary objective of misleading this Hon'ble Tribunal. The present Application is a vexatious attempt to harass the Respondents, lacking evidence and driven by ulterior motives.

PRAYER

In view of the facts, circumstances and the averments herein above, it is most respectfully prayed that this hon'ble Tribunal may be pleased to dismiss the present execution Application with exemplary costs.

AND FOR THIS ACT OF KINDNESS, RESPONDENT NOS. 2-5, AS IN DUTY BOUND, SHALL EVER PRAY.

Ramendra Nath Tripathi
NOTARY
Govt. of India Gorakhpur

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ____________ on this 08 day of November, 2025, that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed thereof.

DRAWN AND FILED BY

Gaurav Kumar Bansal

Advocate

For Applicant
A26, Basement
Jangpura Extension
New Delhi – 14

NOTARY
Ramendra Nath Tripathi
Gorakhpur (U.P.)
Expiry Date-16/04/2030

Identified by
S.K. Gupta Adv
08-11-25

08-11-25
Ramendra Nath Tripathi
NOTARY
Govt. of India

No. 2579
Attested The Signature / Thumb Impression
Sri/Smt./Km. Mahboob Sayeed
Who Signed/Put on this 08-11-25 Day of
and who has Admitted the due Execution
is ... He/She Identi...
Shri S.K. Gupta Adv

08-11-25
Ramendra Nath Tripathi

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5
संख्या–24/81–5–2020–07–93
लखनऊ, 7 जनवरी, 2020
अधिसूचना

प0आ0–2

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा 21 एवं 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या– 2270/14– 5–2017 –07–93, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का अधिक्रमण करके राज्यवाल निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को निपातित किये जाने का प्रतिषेध करती हैं:–

(1) आम (देशी/तुकमी), (2) नीम, (3) साल, (4) महुआ, (5) बीजासाल, (6) पीपल, (7) बरगद, (8) गूलर, (9) पाकड़, (10) अर्जुन, (11) पलाश, (12) बेल, (13) चिरौंजी, (14) खिरनी, (15) कैथा, (16) इमली, (17) जामुन, (18)असना, (19) कुसुम, (20) रीठा, (21) भिलावा, (22) तून, (23) सलई, (24) हल्दू, (25) बाकली/करधई, (26) धौ, (27) खैर, (28) शीशम एवं, (29) सागौन और व्यक्तिगत कृषित या अकृषित धृति पर स्थित अन्य प्रजातियों को छूट प्रदान करती हैं।

2– प्रतिषिद्ध प्रजातियों के वृक्ष, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक अपरिहार्य परिस्थितियों यथा– वृक्ष सूख गया हो या सूख रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका निपातन किया जाना आवश्यक हो या समुपयोज्य व्यास प्राप्त कर लिया हो अथवा यदि उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो और ऐसे वृक्ष को निपातित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, के सिवाय निपातित नहीं किये जायेंगे। समुपयोज्य व्यास के लिए प्रमुख वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश, जैसा और जब अपेक्षित हो, समय–समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकता है।

3–निपातित किये जाने वाले वृक्षों और (निपातित किये गये वृक्षों के बदले में) रोपित किये जाने वाले प्रतिपूरक पौधों का अक्षांश एवं देशान्तर सक्षम अधिकारी से निपातन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र में उल्लिखित किया जायेगा तथा तत्पश्चात् ऑनलाइन अभिलिखित किया जायेगा।

4– वृक्ष स्वामी, निपातित किये गये प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का आरोपण एवं अनुरक्षण करेगा और वृक्ष रोपित न करने की स्थिति में 10 वृक्षों को रोपित किये जाने तथा 05 वर्ष तक उनका अनुरक्षण किये जाने की धनराशि उक्त अधिनियम, सन् 1976 की धारा 5 और 7 के अनुसार वृक्ष स्वामी द्वारा वन विभाग को जमा की जायेगी। वन विभाग इस धनराशि का उपयोग वनीकरण के प्रयोजनार्थ करेगा। इससे ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करने तथा वृक्षावरण का विस्तार करने में भी सहायता मिलेगी।

5– उत्तर प्रदेश वन निगम, वृक्ष स्वामी को उसकी कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 24/LXXXI-5-2020-07,93 dated January 7, 2020:

No. 24/LXXXI-5-2020-07-93

Dated Lucknow, January 7, 2020

IN exercise of the powers under section 21 and 23 of the Uttar Pradesh Protections of Trees Act, 1976 (U.P Act no. 45 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 4 of 1904) and in supersession of the Government notification no. 2270/XIV-5-2017-07-93, dated October 31, 2017, the Governor is pleased to prohibit felling of the following trees species:-

(I) Aam (Desi/Tukmi), (II) Neem, (III) Sal, (IV) Mahua, (V) Bijasal, (VI) Pipal, (VII) Bargad, (VIII) Gular, (IX) Pakar, (X) Arjun, (XI) Palash, (XII) Bel, (XIII) Chiraunjee, (XIV) Khirnee, (XV) Kaitha, (XVI) Imli, (XVII) Jamun, (XVIII) Asna, (XIX) Kusum, (XX) Ritha, (XXI) Bhilawa, (XXII) Toon, (XXIII) Salai, (XXIV) Haldu, (XXV) Bakali/Kardhai, (XXVI) Dhau, (XXVII) Khair, (XXVIII) Sheesham And (XXIX) Sagaun and exempt other species situated on Individal cultivated and un-cultivated holding.

2. Prohibited Tree Species shall not be felled till dated 31st December, 2025 except under unavoidable circumstances such as tree is dead or dying or it constitutes danger to person or property or its felling is necessary for executing a development work approved by the Government or after attaining exploitable diameter or if the fruit bearing capcity of such tree has declined substantially and pemission to fell such tree has been obtained in writing from the competent arthority. For exploitable diameter, Principal Chief Conservator of Forests, Monitoring and Working Plan, Uttar Pradesh may issue Guidelines from time to time. As and when required.

3. Longitude and Latitude of trees to be felled and compensatory saplings to be planted (in lieu of felled trees) shall be mentioned in the application from while applying for obtaining felling permission form the Competent Authority and Subsequently recorded online.

4. The Tree owner shall plant and maintain 10 trees in place of each tree felled and in case of not planting trees the amount of money for plantation of 10 trees and their maintenance for 5 years shall be deposited by the tree owner to the Forest Department, as per section 5 and 7 of the said act of 1976. Forest Department will utilise this amount for afforestation purposes. This will help conserve such species and expansion of tree cover too.

5. Uttar Pradesh Forest Corportaion will facilitate the tree owner for certification of standing trees on his farm land.

By order,

SUDHIR GARG,

Pramukh Sachiv.

ANNEXURE R-2

Item No. 06 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 486/2024

Suddu Applicant

Versus

Ministry of Environment Forest and Climate Change Respondent

Date of hearing: 26.04.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

ORDER

1. In this original application, grievance of the Applicant is that there was a garden in two acres of land at Araji No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed.

2. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to

get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration.

4. The OA is accordingly disposed of.

5. A copy of this order be forwarded to the Divisional Forest Officer, Gorakhpur by e-mail for compliance.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

April 26, 2024
Original Application No. 486/2024
DV

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक ७९५ / 10–1 दिनांक, गोरखपुर, अगस्त, २१ /2024

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

विषयः– National Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में जांच रिर्पोट।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 26.04.2024 पारित किया गया है किः–

"............3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to 2 get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration........."

अतः उपरोक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच कर जॉच रिर्पोट संलग्न कर सादर सूचनार्थ आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 736 / 10—1 दिनांक, गोरखपुर, अगस्त, 16 / 2024

National Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में जांच आख्या

याची सुड्डू (Suddu) द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26.04.2024 को आदेश पारित किया गया है, (संलग्नक—1) जिसके अंश निम्नवत है —

"...............In this original application, grievance of the Applicant is that there was a garden in two acres of land at Araji No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed.

2. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

...3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to 2 get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-

mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration........"

राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.04.2024 के क्रम में प्रकरण की जांच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक 5524/10–1 दिनांक 14.05.2024 द्वारा समिति की गठन किया गया है, **(संलग्नक–2)** समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न प्रकार है–

1– सर्व श्री डॉ0 हरेन्द्र सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर – अध्यक्ष

2– संतोष कुमार पाण्डेय, क्षेत्रीय वनाधिकारी, खजनी – सदस्य

3– अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां – सदस्य

समिति द्वारा प्रकरण की जांच के समय शिकायतकर्ता श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू, मोहल्ला–लच्छीपुर खास, पोस्ट व थाना–गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर, पिनकोड–273015 को दिनांक 24.05.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे गोरखपुर–सोनौली मार्ग पर स्थित चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित आराजी संख्या–619, ग्राम–लच्छीपुर, तहसील–सदर, थाना–गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर में शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य/अभिलेखों सहित उपस्थित होकर जांच में सहयोग प्रदान करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर (अध्यक्ष) अपने कार्यालय पत्रांक–754/10–1 दिनांक 16.05.2024 से स्पीड पोस्ट दिनांक 18.05.2024 से सूचित किया गया **(संलग्नक–3)**। शिकायतकर्ता श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू, दिनांक 24.05.2024 को उपस्थित नही हुए, शिकायतकर्ता श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू को पुनः जांच मे सहयोग करने हेतु दिनांक 03.07.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे उपस्थित होने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर (अध्यक्ष) अपने कार्यालय पत्रांक–868/10–1 दिनांक 25.06.2024 से स्पीड पोस्ठ दिनांक 26.06.2024 से उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया **(संलग्नक–4)**। लेकिन श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू, जांच के समय उपस्थित नही हुए।

समिति द्वारा प्रकरण की जांच करने हेतु मौके पर स्थलीय निरीक्षण एवं प्रकरण की जांच दिनांक 24.05.2024 एवं 03.07.2024 को किया गया, एवं प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण मुख्यालय रेंज में उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से किया गया जिसमें यह पाया गया कि –

श्री महबूब सईद पुत्र स्व0हामिद अली, ग्राम– छोटे काजीपुर, थाना–कोतवाली, तहसील–सदर, जिला गोरखपुर द्वारा सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास आराजी संख्या–619,ग्राम लच्छीपुर, तहसील–सदर, थाना–गोरखनाथ, जिला –गोरखपुर की भूमि पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन दिनांक 22.07.2023 को किया गया, जिसके विरूद्व उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज द्वारा रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत किया गया**(संलग्नक–5)** । उक्त प्रकरण में क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय द्वारा ई–3 संख्या 13095/29

दिनांक 01.08.2023 से मु0–7000/– प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा किया गया है **(संलग्नक–6)**।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 ग्राम लच्छीपुर, तहसील–सदर, थाना–गोरखनाथ, जिला –गोरखपुर में स्थित बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु विभाग को आवेदन किया गया था **(संलग्नक–7)** । उक्त आवेदन के सम्बन्ध में फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता की जांच हेतु क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय रेंज के पत्रांक 68/31–1 दिनांक 01.10.2023 के द्वारा अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर को पत्र लिखकर जांच करायी गयी। **(संलग्नक–8)** तदोपरान्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर ने अपने पत्रांक 1291/फलदायी क्षमता/2023–24/ दिनांक 09.10.2023 द्वारा फलदार वृक्षो के फलदायी क्षमता/जांच रिपोर्ट प्रेषित किया गया, **(संलग्नक–9)** जिसमें यह उल्लिखित किया है कि उक्त आराजी में स्थित वृक्षों की आयु लगभग 60–65 वर्ष है, जो सुखे, रोगग्रस्त हरे खड़े है, वृक्षों की स्थिति जीर्ण –शीर्ण अवस्था में है। जिसे देखने प्रतीत होता है कि वृक्षों में फलदायी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। तदोपरांत श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 में स्थित बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए विभाग से पातन परमिट सं0 6587240 दिनांक 25.10.2023 जारी गया है **(संलग्नक–10)**।

जारी किये गये उक्त पातन परमिट में कटान हेतु अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन किया गया, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 एवं अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज द्वारा रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है **(संलग्नक–11)**. और क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय द्वारा ई–3 संख्या 13095/65 दिनांक 04.04.2024 से मु0–35000/– प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा किया गया है।**(संलग्नक–12)**

शिकायतकर्ता मेराज अहमद उर्फ सुड्डू द्वारा उ0प्र0 सरकार के जन सुनवायी पोर्टल पर शिकायत सं0 40018823042313 द्वारा शिकायत की गयी, **(संलग्नक–13)** जिसके सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक मेमो/16एफ–16 ए (जनसुनवायी) दिनांक 29.11.2023 द्वारा उक्त शिकायत का निस्तारण किया गया है **(संलग्नक–14)** । जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार है:–

श्री मेराज अहमद जी के शिकायती पत्र की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से कराया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक–105/31–1 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक श्री मेराज अहमद द्वारा अपने आवेदन में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है, जांच के क्रम में मौके की जांच किया गया, इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 में स्थित वृक्षों में से बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक–1730/37–1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या–6587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 एवं 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 **(संलग्नक–15)** में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरूद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नही है अर्थात छूट प्रजाति का वृक्ष है।

पुनः शिकायतकर्ता द्वारा मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार को दिनांक 02.11.2023 को, एवं मा0 मंत्री वन एवं पर्यावरण , भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 29.12.2023 को पत्र के माध्यम से शिकायत किया गया है **(संलग्नक–16)** । उक्त शिकायत का निस्तारण किया गया **(संलग्नक–17)** जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार है:–

निवेदन है कि श्री मेराज अहमद का शिकायती पत्र दिनांक 02.11.2023 उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जाचं हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है। चूँकि प्रकरण मुख्यालय रेंज गोरखपुर से सम्बन्धित है इसलिये प्रकरण की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक–200/31–1 दिनांक 24.03.2024 द्वारा अपनी जांच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराया

गया है। (प्रति संलग्न है।) अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त आख्या का परीक्षण किया गया। जांच आख्या निम्न प्रकार है:–

इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 में स्थित बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक–1730/37–1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या–6587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 एवं अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरूद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नही है अर्थात छूट प्रजाति का वृक्ष है। उपरोक्त शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता नही है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि खसरा में चार फरीक है। लेकिन वन विभाग द्वारा एक व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह कहना कि शेष तीन फरीक के नाम से मुकदमा पंजीकृत किया जाय। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन पाये जाने पर मुख्यालय रेंज के अन्तर्गत रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है। चूँकि श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली के आवेदन पर विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट जारी किया गया हैं अनुमति दिये गये पांच वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों का अवैध पातन परमिट धारक श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा कराया गया। इस लिये परमिट धारक के नाम से रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

समिति की जॉच में पाया गया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है अथवा उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। छूट प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त आराजी सं0 619 में स्थित वृक्षों के लिये ली गयी पातन परमिट के अतिरिक्त अवैध काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की गयी है। अतः समिति की जांच आख्या प्रेषित है।

जांच आख्या

उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है अथवा उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। छूट प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त आराजी सं0 619 में स्थित वृक्षों के लिये ली गयी पातन परमिट के अतिरिक्त अवैध काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की गयी है।

भवदीय

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संलग्नक -01

Item No. 06 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 486/2024

Suddu Applicant

Versus

Ministry of Environment Forest and Climate Change Respondent

Date of hearing: 26.04.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

ORDER

1. In this original application, grievance of the Applicant is that there was a garden in two acres of land at Araji No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed.

2. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for

get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration.

4. The OA is accordingly disposed of.

5. A copy of this order be forwarded to the Divisional Forest Officer, Gorakhpur by e-mail for compliance.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

April 26, 2024
Original Application No. 486/2024
DV

संलग्नक 02

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक5524/10–1 दिनांक, गोरखपुर, मई 15 /2024

Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच करने हेतु समिति का गठन

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में आदेश दिनांक 26.04.2024 पारित किया गया है, जो निम्न प्रकार है–

"...............In this original application, grievance of the Applicant is that there was a garden in two acres of land at Araji No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed.

2. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to 2 get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support

PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration........."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.04.2024 जो इस कार्यालय को दिनांक 03.05.2024 को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर की अध्यक्षता में निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है :-

1– सर्व श्री डॉ0 हरेन्द्र सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर – अध्यक्ष

2– ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्रीय वनाधिकारी, परतावल – सदस्य

3– अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां – सदस्य

उपरोक्त गठित समिति के अध्यक्ष व समस्त सदस्यगण संलग्न आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में जांच कर अपनी जांच आख्या मय साक्ष्य हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 25.05.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्मरण रहें, उक्त प्रकरण महत्वपूर्ण है, जिसे ससमय निस्तारण करना अति आवश्यक है, अतएवं इसे शीर्ष प्राथमिकता देवें।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर

संख्याः 5525 अ/उक्तदिनॉकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सुचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सर्व श्री डॉ0 हरेन्द्र सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
2. ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्रीय वनाधिकारी परतावल
3.अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 150 /10–1 दिनांक, गोरखपुर, जुलाई, 08 /2024

सेवा में,

श्री संतोष कुमार पाण्डेय,
क्षेत्रीय वनाधिकारी, खजनी,
गोरखपुर।

विषयः– Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच करने हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–5524/10–1 दिनांक 14.05.2024

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में एन0जी0टी0 से सम्बन्धित प्रकरण की जांच करने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्न प्रकार समिति का गठन किया गया है:–

1–	सर्वश्री डा0 हरेन्द्र सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।	अध्यक्ष
2–	ओम प्रकाश सिंह, वर्तमान में सेवा निवृत्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, परतावल	सदस्य
3–	अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां	सदस्य

श्री ओम प्रकाश सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी, वर्तमान में सेवा में निवृत्त हो जाने के कारण उपरोक्त समिति के सदस्य के रूप में आपको नामित किया जाता है।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर।

संख्या 150 अ/दिनांकित
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
2–क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर।

संलग्नक 03

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 754 /10–1 दिनांक, गोरखपुर, मई, 16 /2024

सेवा में,

मेराज अहमद उर्फ सुड्डू,
मोहल्ला–लक्ष्मीपुर खास,
थाना–गोरखनाथ,
तहसील–सदर,
जिला–गोरखपुर।
मो0नं0–9415304215

विषयः– Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2024

उपरोक्त विषयक वाद आपके द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दाखिल किया गया है। विषयगत प्रकरण की जांच हेतु प्रभाग स्तर पर समिति का गठन किया गया है। उक्त प्रकरण में सत्यता की जांच हेतु आपका उपस्थित होना आवश्यक है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 24/05/2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे गोरखपुर सोनौली मार्ग पर स्थित चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित आराजी सं0 619, ग्राम लच्छीपुर, तहसील–सदर, थाना–गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर में आप द्वारा की गयी शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य/अभिलेखों सहित उपस्थित होकर उक्त जांच में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन प्रभाग,
गोरखपुर

EU197888346IN IVR:6965197888346
SP MBC GORAKHPUR RMS (273012)
Counter No:1,18/05/2024,20:53
To:MIRAJ AHMED,GKP
PIN:273015, Gorakhnath Mandir SO
From:UPP VAN ADHIKARI,GKP
Wt:14gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

411 संलग्नक-04 31

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 868 /10–1 दिनांक, गोरखपुर, जून, 25 /2024

सेवा में,

श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू,
मोहल्ला–लच्छीपुर खास,
पोस्ट–गोरखनाथ,
थाना–गोरथनाथ,
जिला–गोरखपुर।
पिन कोड–273015

विषयः– Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–754/10–1 दिनांक 16.05.2024

गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित ग्राम–लच्छीपुर के आराजी संख्या–619 में वृक्षों के कटान के सम्बन्ध में उपरोक्त विषयक वाद आप द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दाखिल किया गया है। उक्त प्रकरण की जांच प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक–5524/10–1 दिनांक 14.05.2024 द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रकरण की जांच हेतु दिनांक 24.05.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आयोजित बैठक में साक्ष्य सहित उपस्थित होने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–754/10–1 दिनांक 16.05.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से आपको सूचित किया गया था, लेकिन किसी कारणो से आप उपस्थित नही हुए।

पुनः आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 03/07/2024 को पूर्वान्ह 11 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में पुनः समिति की बैठक आयोजित की गयी है। आप जांच में सहयोग करने हेतु शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य/अभिलेखों सहित उपरोक्त निर्धारित तिथि को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(डा0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या 868 अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–1–प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–क्षेत्रीय वनाधिकारी, परतावल, सहजनवां एवं मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि आप लोग भी समिति की बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(डा0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर

भारतीय डाक
EU388659898IN IVR:6965388659898
SP MBC GORAKHPUR RMS <273012>
Counter No:1,26/06/2024,21:35
India Post
To:MERAJ AHMAD,LACHHIPUR
PIN:273015, Gorakhnath Mandir SO
From:UP PRABHAGIYA VAN ,GKP
Wt:18gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

पु0 सं0 24 फार्म नं0 ए-2 67 पृष्ठ सं0

वन विभाग उत्तर प्रदेश

पूर्वी वृत्त–गोरखपुर संलग्नक 05

वन प्रभाग–गोरखपुर

वन अपराध– उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10

रिपोर्ट नं0 .... दिनांक 22-7-23 रेंज मुख्यालय बीट मुख्यालय

रेंज केस संख्या 04/2023-24 20 20

1– अभियुक्तों के नाम, पिता के नाम तथा पता : ① [illegible] S/o [illegible] ग्राम-[illegible] थाना-[illegible]पुर, जिला-गोरखपुर ② [illegible] S/o [illegible] ग्राम-[illegible] बहादुर, थाना-[illegible] गोरखपुर

2– गवाहों के नाम आत्मज तथा पता ① [illegible] कुमार वर्मा ([illegible]) ② स्वयं (नरेन्द्र कुमार व0र0)

3– कथित अपराधों का पूरा विवरण ग्राम [illegible]पुर में एक वृक्ष आम हरे को अवैध तरीके से जड़ से काटकर कोटा में परिवर्तित करते समय पकड़ा गया। आम कोटों का नाप लिया —

① 1.25×1.25 जड़ ② 1.33×1.68 ③ 1.30×1.50

④ 1.45×1.45 ⑤ 1.85×1.10 ⑥ 1.28×1.10

⑦ 1.85×0.90 ⑧ 1.30×1.10 ⑨ 1.30×1.00

4– अपराध के समय यदि अपराधी का कोई समान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

5– कुल हानि का मूल्यांकन

6– बरामद की गई लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7– चालान एवं जांच के सम्बन्ध में विशेष कथन

महोदय,

निवेदन है कि आज दिनांक 22-7-23 लगभग 3:00 PM मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली कि [illegible] S/o [illegible] [illegible]पुर, निजि बाग में एक पेड़ हरा आम काटकर कोटा बनाया जा रहा है यदि आप लोग जल्दी आये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये कालम नं0 ⑥ में वर्णित [illegible] [illegible] स्थान पर [illegible] में पहुंचकर [illegible] गया तो एक पेड़ आम [illegible] परिवर्तित करता पाया गया। [illegible] पर पता चला कि कालम नं0 ① में वर्णित अभियुक्तों द्वारा [illegible] आम [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया गया [illegible] की [illegible] है कालम नं0 ② में वर्णित [illegible] S/o [illegible] निवासी [illegible]पुर थाना [illegible] की सुपुर्दगी में दिया गया है। [illegible] कार्यवाही [illegible] अतः रिपोर्ट [illegible]

केस काटने वाले का हस्ताक्षर

पद (नरेन्द्र कुमार) व0र0

दिनांक : 22-7-2023

संलग्नक-06

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

ई-3 बुक नं० 13095 नं० 29

वन प्रभाग............ दिनांक 01/08/2023

श्री............ से

रुपया............ प्राप्त किया।

7000/-

बाबत............

दिनांक............ प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

पद नाम............

आवेदन सं - 66887240
दिनांक - 21-10-2023

श्री नरेन्द्र ... कृपया मौके की जाँच जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करें
27-04-11-23

अनुलग्नक-एक (भाग एक)

क्र संख्या 11

संलग्नक 07

वन प्रभाग का नाम......

फार्म संख्या 1094 ......वित्तीय वर्ष......

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अधीन वृक्ष गिरने की अनुज्ञा के लिए

आवेदन

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संसोधित) 1976 की धारा 5 (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित

सेवा में,

उप प्रभागीय वन अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी- निदेशक/ तहसीलदार / उद्यान निरीक्षक /

......जिला......

महोदय,

मैं/ हम महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली निवासी ग्राम छोटे काजीपुर डाक सदर तहसील सदर थाना कोतवाली जिला गोरखपुर ......अपने निजी कास्त के वृक्ष (वृक्षों) को गिराना और हटाना चाहता हूँ/ चाहते है, तो नीचे दिये गये विवरण के अनुसार तहसील सदर ......थाना गोरखनाथ......

जिला गोरखपुर ......में पड़ने वाली मेरी/हमारी भूमि के प्लाट सं0 619 मी0 रकबा 0.964 ......ग्राम रसूलपुर ......में स्थित है-

क्र0 सं0	वृक्ष की प्रजाति	छाती की ऊँचाई पर वृक्ष के तने का व्यास (सेमी)	वृक्ष को गिराने/हटाने का कारण
1	2	3	4
1	सागौन हरा	1.50 मी0	मकान बनवाने हेतु
2.	बेल हरा	2.63 मी0	
3.	आम हरा	2.08 मी0	
4.	आम हरा	2.45 मी0	
5.	आम हरा	1.90 मी0	
			नरेन्द्र कुमार 90CC

2. मैं/हम वृक्षों को गिराने के तुरन्त पश्चात आने वाली वर्षा ऋतु की समाप्ति से पूर्व.................................. प्रजाति सं0.. के वृक्षों का रोपण और संरक्षण करने का वचन देता हूँ / देते हैं

3. मै/ हम उपर्युक्त वृक्ष (वृक्षों) को गिराऊँगा और हटाऊँगा/गिरायेंगे और हटायेंगे या मैं/ हम श्री.................................. ....पुत्र श्री...निवासी ग्राम.. डाक...तहसील...जिला.................................... उपर्युक्त वृक्ष/वृक्षों को गिराने और हटाने के लिए अधिकृत करूँगा/ करेंगे जिसके लिए नोटरी द्वारा सत्यापित.................. ....रुपये के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र इसके साथ संलग्न है।

4. मैं/हम प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के लिए दो पौधों के रोपण और पश्चातवर्ती देख-रेख की प्रतिभूति स्वरूप प्रति पौधा 1200/- रूपये की दर से.. रुपये डाकघर बचत बैंक पासबुक/ राष्ट्रीय बचत पत्र, जो सक्षम प्राधिकरण के पदनाम से गिरवी रखी गयी है, संलग्न करता हूँ/ करते है

5. मैं/हम वृक्ष को गिराने या आवेदन की अस्वीकृत के सम्बन्ध में रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय का पत्र व्यवहार करने के लिए अपना पता युक्त स्टाम्पित लिफाफा संलग्न करता हूँ/करते है

6. मैने/हमने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों को पढ़ लिया है और मै/हम उनका पालन करूँगा/ करेंगे

7. मैं/ हम सत्यापित करता हूँ/ करते है कि उपर्युक्त सूचनाएं मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और सत्य है

8. अनुरोध है कि उपर्युक्त वृक्ष/ वृक्षों को गिराने / हटाने की सिफारिश इस आवेदन पत्र के भाग-दो में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकरी को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-

1. प्रतिभूति के रूप में डाकघर बचत पास बुक/राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल रूप में) ।
2. अपना पता युक्त और स्टाम्पित रसीदी रजिस्ट्री डाक का लिफाफा।
3. मूल रूप में न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर नौटरी द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा (यदि लागू हो)

हस्ताक्षर प्रमाणित (नरेन्द्र...) प्र...

आवेदक का हस्ताक्षर महबूब सईद

① - [signature]
② - T. Saiyed
③ आसिफ सईद

नाम महबूब सईद
निवासी ग्राम छोटे काजीपुर डाक [illegible]
तहसील सदर थाना कोतवाली
जिला गोरखपुर
पिन कोड...

दिनांक 1.10.2023

MON० 9721065463

स्थान छोटे काजीपुर

टिप्पणी-

1. वन विभाग से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र ही मान्य होगा। फोटो प्रतियां स्वीकार नहीं होगे।
2. अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अनुलग्नक एक (भाग-दो)

जाँच रिपोर्ट

...र प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संशोधित) 1976 की धारा 5 (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी-निदेशक/ जिला उद्यान अधिकारी /मुख्य निकास अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास)..............................जिला..........................उ0प्र0

आवश्यक जाँच करने के पश्चात में अधोहस्ताक्षरी, सत्यापित करता हूँ कि आवेदक श्री.......महबूब सईद......पुत्र श्री.....साहिद अली.....निवासी ग्राम.....छोटे काजीपुर......... डाक......सदर.................थाना....कोतवाली.....तहसील....सदर..............जिला....गोरखपुर...... ने आवेदन पत्र (भाग) में सही और सूचना दी है। मैंने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों को पढ़ लिया है, और उक्त वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने की अनुज्ञा जारी करने से अधिनियम का उल्लंघन नहीं होगा।

या

आवश्यक जाँच करने के पश्चात मेरी राय है कि ऊपर उल्लिखित आवेदक द्वारा प्रस्तुत गिराने की अनुज्ञा का आवेदन, निम्नलिखित आधार (आधारों) पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

1.

2.

उपर्युक्त रिपोर्ट के साथ आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जाता है।

हस्ताक्षर [signature]

नाम नरेन्द्र कुमार

पद नाम वनरक्षक

सेक्शन / रेंज का नाम मुख्यालय

मुहर

दिनांक 1-10-2023

स्थान

टिप्पणी-

1. उपर्युक्त सिफारिश उपर्युक्त विहित निदर्शनपत्र में ही विधि मान्य होगी।
2. जाँच अधिकारी आवश्यक विधिक कार्यवाही का दायी होगा यदि वह गलत/ असत्य सिफारिश प्रस्तुत करता है।
3. कृपया जो प्रयोज्य न हो उसे काट दीजिए।

ग्राम अ० ... पुर तप्पा ... परगना ... तहसील ... जिला गोरखपुर बाबत फसली-14 2

[illegible]	क्षेत्रफल	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के अनुसार खातेदार का नाम	सिंचाई की रीति व कुयें	कृषि फसली वाली भूमि का क्षेत्रफल — खरीफ: फसल का नाम	खरीफ: सिंचित	खरीफ: असिंचित	रबी: फसल का नाम	रबी: सिंचित	रबी: असिंचित	जायद: फसल का नाम	जायद: सिंचित	जायद: असिंचित	दो फसली क्षेत्रफल: सिंचित	दो फसली क्षेत्रफल: असिंचित	अधिकृत भूमि का ब्योरा: भूमि की श्रेणी	अधिकृत भूमि का ब्योरा: क्षेत्रफल	क्षेत्र के खड़े हुए वृक्षों की संख्या व किस्म	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
६	2.302	696 / 0-664	तारिक सईद व आतिफ सईद व महबूब सईद व अजीज फातमा व मो० तारिक सईद व आतिफ सईद व महबूब सईद वर्गी १(क)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible] / आबादी / पर्ती	0-220 / 0.020 / 0.928	आम 06, सागौन 03 / कटहल 01, नीम 01	

[illegible] सत्य प्रतिलिपि [illegible]

[signature] 21/09/23

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 21736320210157

ग्राम क्रमांक 217363 ग्राम का नाम / परगना : लच्छीपुर(हवेली) तहसील : सदर जनपद : गोरखपुर फसली वर्ष : 1423-1428 भाग : 1

खाता संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।							
01899	हामिदअली / साजिद अली / . तारिक सईद / हामिदअली / . आतिफ सईद / हामिदअली / . महबूब सईद / हामिदअली / सा.काजीपुर खुर्द श्रीमती तलत फातिमा / हामिद अली पत्नी तारिक इरफान / नि.गांधीनगर शहर बस्ती	पू1360फ	619मि.	0.9640		आर0 सी0 9 ए0 सि0 परगना वाद सं0 20205188009500021 63/10.12.2020 खाता सं0 676 व 1899 व 1897 व 1900 व 1898 से मृतक मुहम्मद साजिद अली पुत्र मुहम्मद साजिद अली के स्थान पर अजीज फातमा पत्नी मुहम्मद साजिद अली व तलत फातिमा पुत्री मुहम्मद हामिद अली पत्नी टी0आर0 रहमान (विवाहित पुत्री) व मोहम्मद तारिक सईद व आतिफ सईद व महबूब सईद पुत्रगण मोहम्मद हामिद अली का नाम बतौर वारिस दर्ज हो।	
			1	0.9640	₹ 23.80	1	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव नौ छः चार शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - दो तीन दशमलव आठ शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: UMESH DWIVEDI

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरिफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: DHANUSHDHARI SINGH

तहसील: सदर जनपद: गोरखपुर

दिनांक एवं समय: 13-01-2021 04:28:08

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES

NOTARIAL NOTARIAL

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 88AE 909166

समक्ष– प्रभागीय बनाधिकारी महोदय, गोरखपुर

1. यह कि शपथ पत्र मिनजानिब महबूब शहीद पुत्र स्व0 हामीद अली निवासी छोटे काजीपुर पो0 सदर तहसील सदर जिला गोरखपुर के खातेदार है।
2. यह कि उपरोक्त का नाम व पता सही सत्य है।
3. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता हूँ व कसम खाता हूँ कि शपथकर्ता अपनी नीजी भूमि में गाटा सं0–619 मि0 रकबा 0.964हे0 ग्राम लच्छीपुर तप्पा कस्बा परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर में अपने जमीन में आम तथा अन्य वृक्ष है जिसे कटवाकर शपथकर्ता मकान बनवायेगा। जिसमे बाग मे तीन पेड़ आम, एक पेड़ बेल व एक पेड सागवान को कटवाना चाहता है। उक्त पेड़ो का स्वामित्व हम शपथकर्ता है।
4. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता हूँ व कसम खाता है कि शपथकर्ता परमिट के अतिरिक्त कोई अन्य पेड़ नहीं काटेगा तथा वन विभाग के नियम एवं शर्तों का पालन करेगा।
5. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता है व कसम खाता है कि उक्त पेड़ के पातन परमिट लेने पर आपस में कोई विवाद नहीं है यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह पर स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
6. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयाने करता है व कसम खाता है कि उपरोक्त पैरा 1 से 5 तक शपथपत्र सही व सत्य है इसमें कोई बात छिपायी नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक —

शपथकर्ता

(महबूब शहीद)

महबूब सईद

NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH AMITABH TRIPATHI

30/9/23

NOTARY

दि॰ 30-9-23 महबूब रशीद उ० हमीद अली नि० खोटे गाजीपुर, गो॰

रवि कुमार गुप्ता स्टाम्प विक्रेता
ला॰ न॰-235
कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर

NOTARY
AMITABH TRIPATHI
GOVT. OF UTTAR PRADESH

महबूब सईद

Identified
the Abow Sig.
Hdn.
30-9-23

NO ... 30/9/23
Solemnly Affirmed before me on
at ... Shree Mehaboob Said
The deponent who is identified by
Shri Maimuna Tripathi
I have satified my self by examining the deponer that he/she understand the contents of this affidavit which has been read over and Explained by me

30/9/23

AMITABH TRIPATHI
NOTARY
H.Q. GORAKHPUR

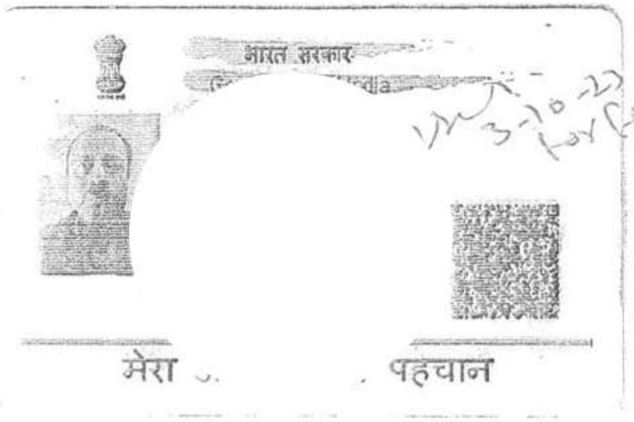
भारत सरकार
मेरा
पहचान

Unique
of India
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
08082011

...ामान्य अनुदेश

...ा के लिए, उसके द्वारा किए गए लेनदेन का रिकार्ड है ...र्शाये गए शेष पर वैधानिक रुप से दावा नहीं किया जा

...ा का यह कर्तव्य होगा कि वह पासबुक मे दर्शाये शेष की पुष्टि ...ंबत डाकघर से करें और डाकघर अपने रिकार्ड मे दर्शाई जाने वाली ...स्तविक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

किसी भी प्रयोजन के लिए पासबुक डाकघर को सौंपने पर डाकघर से उसकी पावती हमेशा लें।

4) पासबुक को हमेशा अपनी निजी अभिरक्षा मे रखे, किसी अन्य व्यक्ति को पासबुक सौंपने की स्थिति में पैसे की किसी प्रकार की हानि होने पर डाकघर उसके लिए जिम्मेदार नही होगा।
5) पासबुक में कही पर भी नमूना हस्ताक्षर न करें।
6) लेन-देन के बाद पासबुक मे दर्ज शेष की जांच करें और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर पोस्टमास्टर से तुरंत संपर्क करें।
7) पासबुक गुम होने की स्थिति में पोस्टमास्टर को तुरंत लिखित में शिकायत करें।
8) यदि पते में कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना पोस्टमास्टर को दें।
9) प्राधिकृत एजेंट सहित किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर किया हुआ बिना भरा (ब्लैंक) निकासी फार्म न सौपे।
10) अपने खाते से पैसे की निकासी के लिए पोस्टमास्टरों या प्राधिकृत एजेंटो को संदेशवाहक के तौर पर नियुक्त न करें।

कृपया पासबुक न मोड़ें।

https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/Content/Post-office-Saving-Schemes.aspx and details are available at https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/RTI/RTI-Manual-5.aspx

Pleadge to DFO Gorakhpur

NSC VIII Issue
SOLID/NAME: 27300100/Gorakhpur H.O
IFSC Code : IPOS0000DOP
Account No: 0290090215795
CIF(s) / Depositor(s) Name :
1: 364916616 / MAHBOOB SAYEED
2: /
3: /
Depositor(s) Address :
1. GUL KESHAN SAJID ALI ROOAD GORAKHPUR//
2,
GORAKHPUR/UTTAR PRADESH/273001
Account Open Date : 20-10-2023
Mode Of Operation : SELF
Nomination : Yes
Deposit Amount (in Rs.) : 5000
(Rupees Five Thousand)
Maturity Date : 20-10-2028
Maturity Amount (in Rs): 7245
(Rupees Seven Thousand Two Hundred Forty Five
Through Agent : No

Signature Of Postmaster

उप डाकपाल, गोरखपुर-273001

डाक घर बचत बैंक
Post Office Savings Bank

बचत बैंक खाता
सुकन्या समृद्धि खाता
पी. पी. एफ खाता
एम. आई. एस. खाता
एस. सी. एस. एस. खाता
राष्ट्रीय बचत पत्र

आवर्ती जमा खाता
१ वर्षीय सावधि जमा खाता
२ वर्षीय सावधि जमा खाता
३ वर्षीय सावधि जमा खाता
५ वर्षीय सावधि जमा खाता
किसान विकास पत्र

कम प्रीमियम अधिक बोनस
आयकर में छूट का लाभ।

बेहतर, सस्ती, पूर्णतः सुरक्षित एवं भरोसेमंद
डाक जीवन बीमा
सरकारी, अर्धसरकारी, पेशेवरों एवं स्नातकों के लिये
ग्रामीण डाक जीवन बीमा
ग्रामीण लोगों के लिये खास बीमा योजना

PLI
RPLI

भारत के किसी भी डाकघर से या पीएलआई कस्टमर पोर्टल के माध्यम से UPI/DEBIT/CREDIT CARD/NETBANKING etc. के द्वारा से प्रीमियम जमा करने की सुविधा

#Aapka Dost
#India Post

Assured and Fast Delivery
EMS SPEED POST
Book now pay Later Scheme available
Online tracking of articles
Cash on delivery service for e-commerce
Delivery information via SMS

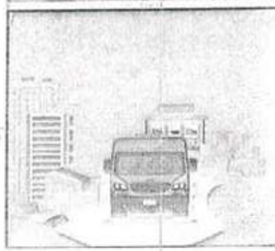

#Aapka Dost
#India Post

Experience
hassle-free & convenient
PARCEL SERVICES
Features of Parcel Services-
- Business & Speed Post Parcel-upto 35 kg
- Express Cargo Service (35 kg to 100 kg)
- Pick up Facility
- Attractive Discount Structure
- COD Facility

SB-5A Department of Posts, India

Azadi Ke Amrit Mahotsav

G20 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

Passbook
National (Small) Savings Schemes

IFSC Code	IPOS0000DOP
Post Office	
CIF ID	
Account No.	
Scheme	

For more information visit: www.indiapost.gov.in
For Net Banking: ebanking.indiapost.gov.in

कार्यालय- क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय रेंज, वन प्रभाग, गोरखपुर
पत्रांक- 68 / 3-1, दिनांक, मुख्यालय, अक्टूबर-01 / 2023

सेवा में,
अधीक्षक
राजकीय उद्यान गोरखपुर

विषय- श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली, निवासी- कोटे कालीपुर, थाना- कोतवाली, गोरखपुर के आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली, निवासी- कोटे कालीपुर पोस्ट- सदर, थाना- कोतवाली, जिला- गोरखपुर द्वारा अपने राजस्व ग्राम- तरकीपुर, थाना- गोरखनाथ, गोरखपुर में आराजी संख्या- 619 मि० में स्थित सागौन वृक्ष- 01, बेल वृक्ष- 01 व आम वृक्ष- 03 कुल- 05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन अनुज्ञा हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, खतौनी, खसरा व शपथ पत्र संलग्न कर इस आशय से आपको भेजा जा रहा है कि उक्त आवेदन में वर्णित फलदायी वृक्ष बेल व आम के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अपनी जांच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वनाधिकारी [illegible]

संख्या / दिनांकित

प्रतिलिपि- श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली निवासी- कोटे कालीपुर पोस्ट- सदर, थाना- कोतवाली, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संलग्नक 09

प्रेषक,

अधीक्षक
राजकीय उद्यान
गोरखपुर।

सेवा में,

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज, वन प्रभाग
गोरखपुर।

पंत्राक....1291............/फलदायी क्षमता/2023–24/दिनांक....09-10-2023

विषयः– आम वृक्ष के फलदायी क्षमता /जॉच रिर्पोट के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्रांक सं0 68/31–1 दिनांक 01.02.2023 के क्रम में श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली, निवासी–छोटे काजीपुर, पोस्ट–सदर, थाना–कोतवाली, जनपद–गोरखपुर अपने राजस्व ग्राम लच्छीपुर, थाना–गोरखनाथ गोरखपुर द्वारा अपने निजी भूमि के अराजी सं0–619 मि0 में स्थित 03 आम वृक्ष एवं 01 बेल वृक्ष का निरीक्षण दिनांक 07.10.2023 को मौके के पर जाकर श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी' उद्यान निरीक्षक' (वर्ग–2) द्वारा किया गया। जिसमें वृक्षों की आयु लगभग 60–65 वर्ष है। जो सूखे रोगग्रस्त हरे खड़े है। वृक्षों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। जिसे देखने प्रतीत होता है कि वृक्षों में फलदायी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है।

उपरोक्तानुसार जॉच आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अधीक्षक
राजकीय उद्यान
गोरखपुर

वन विभाग (उ0 प्र0 सरकार)
Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)

वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2 4 8 8 /1 4 -5 -2 0 0 2 -7/9 3 दिनांक 28/12/2002) अधिनियम की धारा 5 (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, 6587240 संख्या दिनांक 25/10/2023

सेवा में ,

		क्षेत्र:	ग्रामीण		
श्री/श्रीमती/कुमारी :	Mahboob Sayeed	पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री:	Mohd. Hamid Ali	ज़िला:	गोरखपुर
तहसील:	SADAR	परगना:	Haveli	थाना:	Kotwali
डाक:	Sadar	ग्राम सभा:	Chhote Kazipur	गांव:	Chhote Kazipur

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1 9 7 6 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 21/10/2023 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी. में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.)	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण
1	बेल	263	मकान निर्माण में बाधक	263	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
2	सागौन	150	हरा खड़ा परिपकव/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	150	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
3	आम	190	पुराने, फलहीन, रोगग्रस्त	190	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
4	आम	208	पुराने, फलहीन, रोगग्रस्त	208	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
5	आम	245	पुराने, फलहीन, रोगग्रस्त	245	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है

एन एस सी संख्या:	020090215725	डाकघर का नाम :	Pradhan Dakghar, GKP	राशि :	5000.00

उपयुक्त वृक्ष श्रीMahboob Sayeed पुत्र श्री Mohd. Hamid Ali के नाम से अभिलिखित प्लाट संख्या 619 रकबा 0.964 जिला गोरखपुर तहसील SADAR परगना Haveli ग्राम सभा Lachhipur थाना Gorakhnath गांव Lachhipur डाक Gorakhnath में स्थित है ।

1. आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पोधे रोपित करने और उनकी पश्चातवर्ती देख -रेख के लिए डाक घर बचत पास बुक / राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पौधे 1 0 0 0/- र० सक्षम प्राधिकारी को पदनाम से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पौधों की स्थापना पर छ : वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जाएगी । कटान अवधि में कटान स्थल पर उपस्थित मुहर्रिर का दैनिक पारिश्रामिक :

2. जिस दिन से कटान शुरू होगी , अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारंभ करने से पूर्व सम्बंधित वन क्षेत्राधिकारी को जिस तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेंगा ताकि शासनादेश संख्या ४३४ के प्रस्तर दिए गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके ।

3. सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करा के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तगत करायें एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें ।

4. अनुमति शुल्क की राशि 100 रुपया प्रति वृक्ष रेंज कार्यालय में जमा कराये ।

5. इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बंधित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते है, जो कि शासनादेश संख्या 434/14-5-2013 दिनांक 11/03/2013 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे । वन रजिस्ट्रेशन शुल्क रु.75/- की ई 3 रसीद जारी करें।

6. यह पातन अनुज्ञा पत्र दिनांक ~~27/10/2023से04/11/2023~~ तक विधिमान्य होगा ।
01-11-2023 से 10-11-2023

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी,गोरखपुर

संख्या. 6587240 दिनांक: 25/10/2023 पत्रांक: 1730/37-1 दि० 31-10-2023

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित ।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी /गोरखपुर
2. वन क्षेत्राधिकारी मुख्यालय ...जिला गोरखपुर
3. थानाध्यक्ष Gorakhnath जिला गोरखपुर
4. उपजिलाधिकारी SADAR....जिला गोरखपुर
5. प्रभारी सुरक्षा बल गोरखपुर...जिला गोरखपुर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर

प्राप्त किया
महबूब सईद

O/C

फार्म नं०

वन विभाग उत्तर प्रदेश

संलग्नक - 11

पूर्वी वृत्त–गोरखपुर

वन प्रभाग–गोरखपुर

वन अपराध– उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 व 3/08

रिपोर्ट नं० .... दिनांक 13-11-2023 रेंज मुख्यालय बीट गोरखनाथ क्षेत्र

रेंज केस संख्या 09/2023 - 2024 20

1– अभियुक्तों के नाम, पिता के नाम तथा पता : ① इस्लाम S/O मजीद ग्राम - जंगल बहादुर थाना - चिलुआताल जिला - गोरखपुर ② मो० सईद S/O मो० हमीद अली, ग्राम - छोटे काजीपुर, थाना - कोतवाली, गोरखपुर

2– गवाहों के नाम आत्मज तथा पता ① श्री बैरवल निषाद (वाहन चालक) मुख्यालय रेंज ② श्री राजकुमार वर्मा (चौकिदार) मुख्यालय रेंज ③ स्वयं (नरेन्द्र कुमार) व०र०

3– कथित अपराधों का पूरा विवरण ग्राम लच्छीपुर में मो० सईद S/O मो० हमीद अली के प्लाट खसरा 619 रकबा 0.964 जिला गोरखपुर में स्थित आम हरा ② वृक्ष, सागौन ③ वृक्ष एवं नीम ① वृक्ष का अवैध पातन करके प्रकाष्ठ को गायब कर देना एवं शेष प्रकाष्ठ मौके पर पाया जाना।

क्र०सं०	प्रजाति	कुल नाप
(1)	सागौन	0.98 मी० मौके से प्रकाष्ठ गायब
(2)	सागौन	0.93 मी० मौके से प्रकाष्ठ गायब
	नीम	0.89 मी० मौके से प्रकाष्ठ गायब

4– अपराध के समय यदि अपराधी (का) कोई समान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण आम हरा बोटा खेस्त। ① 1.23×1.85 ② 1.35×1.60 ③ 1.30×1.45 ④ 1.39×1.40 ⑤ 1.75×1.05 ⑥ 1.00×1.00

महोदय

आज दिनांक 13-11-2023 को समय लगभग बजे शाम क्र०सं० ② में वर्णित साक्षीगणों के साथ ग्राम लच्छीपुर थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर के मो० सईद S/O मो० हमीद अली के नाम पातन परमिट खसरा 6587900 दिनांक 25.10.2023 की जारी कटान को चेक किया गया जिसमें पातन परमिट के अलावा

5– कुल हानि का मूल्यांकन

6– बरामद की गई लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

वृक्ष आम ②, सागौन ②, नीम ①, अवैध पातन पाया गया मौके पर आम के ⑥ बोटे रखे मिले, अगल-बगल पूछ-ताछ करने पर पता चला की क्र०सं० ① में वर्णित अभियुक्तों द्वारा पेड़ों को काटकर प्रकाष्ठ को गायब कर दिया गया। मौके पर आम के ⑥ बोटे का फर्द तैयार कर सुरक्षा की दृष्टि कोण से बराबर आम के बोटे को श्री श्यामा S/O मोहर निवासी - ग्राम मोहरीपुर थाना - चिलुआताल जिला - गोरखपुर को सुपुर्दगी में दिया गया।

7– चालान एवं जांच के सम्बन्ध में विशेष कथन

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

(नरेन्द्र कुमार)

केस काटने वाले का हस्ताक्षर

दिनांक : 13-11-2023

पद व०र०

संलग्नक-12

अधिकृत निगमन

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ0प्र0

उप प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर

E-3 बुक नं0 13095 नं0 65

वन प्रभाग गोरखपुर [illegible] 04/04/24 दिनांक 04/04/2024

श्री मो० [illegible] पुत्र [illegible] [illegible] से

रूपया 35,000/- ([illegible] पैंतीस हजार मात्र) प्राप्त किया।

बाबत मुकदमा [illegible] के [illegible]

दिनांक [illegible] केस संख्या 07/2023-24 के [illegible] की [illegible]

04/04/2024

प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

पद नाम क्षेत्रीय वनाधिकारी

मुख्यालय रेंज

गोरखपुर वन प्रभाग, गोरख

संलग्नक 51

संख्या : 40018823042313

दर्ज का विवरण:

नाम: MERAJ AHMAD | पिता/पति का नाम: MANAUWAR | आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9415304215 | मोबाइल न.2: | ई-मेल आईडी: ---

पता: वार्ड - राजेन्द्र नगर पश्चिमी , टाउन - गोरखपुर , जिला - गोरखपुर | आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: CM MAHODAY KO SUCHANARTH EAVAM VIDHIK KARWAHI HETU PRESHIT

संदर्भ दिनांक: 02-11-2023

पूर्व सन्दर्भ संख्या(यदि है तो): -----

विभाग: पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: जंगल/लकड़ी का अवैध कटान

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता:

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र. स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	02-11-2023	02-12-2023	प्रभागीय वन अधिकारी-गोरखपुर,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		अनमार्क

R.O मुख्यालय

जाँच कर आख्या तत्काल प्रेषित करें।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

विषयः वन विभाग के बिना परमीशन के अवैध कटान किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

सादर आपको अवगत कराना है कि थाना–गोरखनाथ, सोनौली रोड, चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली जी का बागीचा है जिसमें 75 पेड़ अमरूद, 17 पेड़ आम, 3 पेड़ लीची, 1 पेड़ पंजाला व शरीफा व 16 पेड़ सागौन, एक पेड़ नारियल, व 04, बेल का पेड़, एक पेड़ चीकू व नीम व बड़ा नीबू व कटहल का तीन पेड़, शीशम 3 पेड़ है। जिसका गोरखपुर वन विभाग से शिकायत होने पर वन दरोगा द्वारा रोक दिया गया और उसमें 5 पेड़ का परमीशन लेकर पेड़ों की कटाई कराई गई है, जो खसरा बना हुआ है, उसमें पेड़ों की गिनती कम दर्शाया गया है। प्रार्थी यह जानना चाहता है कि वन विभाग कितने पेड़ों का परमीशन दिया है, व जितने पेड़ कटे हैं, उन्हे मिट्टी से ढंक दिया गया है। पूर्व में कई शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है लेकिन वन विभाग द्वारा कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है।

अतः आप श्रीमान् जी से निवेदन है कि गोरखपुर वन विभाग के डी0एफ0ओ0 श्री विकास यादव जी से इसकी आख्या लेते हुए पेड़ों की गिनती करा ली जाए व दोषियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कराने की कृपा प्रदान करें।

प्रार्थी

दिनांकः 02.11.2023

मेराज अहमद

(मेराज अहमद)

मो0–9415304215

FPD-17/54/2022-FPD

J89677/20 /MO

संलग्नक 14

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक गेमों /16एफ–16ए (जनसुनवाई) दिनांक, गोरखपुर, नवम्बर, 29/2023

office Phone/Fax No. 0551-2333108 E-Mail ID- dfogorakhpur@yahoo.co.in

जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश

संदर्भ संख्या–40018823042313

श्री मेराज अहमद जी के शिकायती पत्र की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से कराया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक–105/31–1 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक श्री मेराज अहमद द्वारा अपने आवेदन में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साबिर अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है, जांच के क्रम में मौके की जांच किया गया, इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–519 में स्थित वृक्षों में से बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक–1730/37–1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या–0587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 एवं 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरूद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नहीं है अर्थात छूट प्रजाति का वृक्ष है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।

Igrs-355

संलग्नक-15

क्रम-संख्या-3

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार 7 जनवरी, 2020

पौष 17, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5

संख्या 24/81-5-2020-07-93

लखनऊ, 7 जनवरी, 2020

प0आ0-2

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1904) की धारा 21
के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की
धारा 21 एवं 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2270/14-5-2017-07-93,
दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को निपातित किये जाने
का प्रतिषेध करती हैं :-

(1) आम (देशी/तुकमी), (2) नीम, (3) साल, (4) महुआ, (5) बीजासाल, (6) पीपल, (7) बरगद, (8) गूलर,
(9) पाकड़, (10) अर्जुन, (11) पलाश, (12) बेल, (13) चिरौंजी, (14) खिरनी, (15) कैथा, (16) इमली, (17) जामुन,
(18) असना, (19) कुसुम, (20) रीठा, (21) भिलावा, (22) तून, (23) सलई, (24) हल्दू, (25) बाकली/करधई,
(26) धौ, (27) खैर, (28) शीशम एवं (29) सागौन और व्यक्तिगत कृषित या अकृषित धृति पर स्थित अन्य प्रजातियों
को छूट प्रदान करती हैं।

2-प्रतिषिद्ध प्रजातियों के वृक्ष, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- वृक्ष सूख
गया हो या सूख रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित
विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका निपातन किया जाना आवश्यक हो या समुपयोज्य व्यास प्राप्त कर लिया
हो अथवा यदि उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रुप से क्षीण हो गयी हो और ऐसे वृक्ष को निपातित करने के लिए
सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, के सिवाय निपातित नहीं किये जायेंगे। समुपयोज्य
व्यास के लिए प्रमुख वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश, जैसा और जब अपेक्षित हो, समय-समय
पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकता है।

3–निपातित किये जाने वाले वृक्षों और प्रतिपूरक रूप में निपातित किये गये वृक्ष के बदले में रोपित किये जाने वाले प्रतिपूरक पौधों का अक्षांश एवं देशान्तर सक्षम अधिकारी से निपातन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय आवेदन-पत्र में उल्लिखित किया जायेगा तथा तत्पश्चात् ऑनलाइन अभिलिखित किया जायेगा।

4–वृक्ष स्वामी, निपातित किये गये प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का आरोपण एवं अनुरक्षण करेगा और वृक्ष रोपित न करने की स्थिति में 10 वृक्षों को रोपित किये जाने तथा 05 वर्ष तक उनका अनुरक्षण किये जाने की धनराशि उक्त अधिनियम, सन् 1976 की धारा 5 और 7 के अनुसार वृक्ष स्वामी द्वारा वन विभाग को जमा की जायेगी। वन विभाग इस धनराशि का उपयोग वनीकरण के प्रयोजनार्थ करेगा। इससे एसी प्रजातियों का संरक्षण करने तथा वृक्षावरण का विस्तार करने में भी सहायता मिलेगी।

5–उत्तर प्रदेश वन निगम, वृक्ष स्वामी को उसकी कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 24/LXXXI-5-2020-07, 93, dated January 7, 2020 :

No. 24/LXXXI-5-2020-07-93
Dated Lucknow, January 7, 2020

IN exercise of the powers under section 21 and 23 of the Uttar Pradesh Protections of Trees Act, 1976 (U.P. Act no. 45 of 1976) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 4 of 1904) and in supersession of the Government notification no. 2270/XIV-5-2017-07-93, dated October 31, 2017, the Governor is pleased to prohibit felling of the following trees species:-

(I) Aam (Desi/Tukmi), (II) Neem, (III) Sal, (IV) Mahua, (V) Bijasal, (VI) Pipal, (VII) Bargad, (VIII) Gular, (IX) Pakar, (X) Arjun, (XI) Palash, (XII) Bel, (XIII) Chiraunjee, (XIV) Khirnee, (XV) Kaitha, (XVI) Imli, (XVII) Jamun, (XVIII) Asna, (XIX) Kusum, (XX) Ritha, (XXI) Bhilawa, (XXII) Toon, (XXIII) Salai, (XXIV) Haldu, (XXV) Bakali/Kardhai, (XXVI) Dhau, (XXVII) Khair, (XXVIII) Sheesham and (XXIX) Sagaun and exempt other species situated on individual cultivated and un-cultivated holding.

2. Prohibited tree species shall not be felled till dated 31[st] December, 2025 except under unavoidable circumstances such as tree is dead or dying or it constitutes danger to person or property or its felling is necessary for executing a development work approved by the Government or after attaining exploitable diameter or if the fruit bearing capacity of such tree has declined substantially and permission to fell such tree has been obtained in writing from the competent authority. For exploitable diameter, Principal Chief Conservator of Forests, Monitoring and Working Plan, Uttar Pradesh may issue guidelines from time to time, as and when required.

3. Longitude and Latitude of trees to be felled and compensatory saplings to be planted (*in lieu of* felled trees) shall be mentioned in the application from while applying for obtaining felling permission form the Competent Authority and subsequently recorded online.

4. The tree owner shall plant and maintain 10 trees in place of each tree felled and in case of not planting trees the amount of money for plantation of 10 trees and their maintenance for 5 years shall be deposited by the tree owner to the Forest Department, as per section 5 and 7 of the said Act of 1976. Forest Department will utilise this amount for afforestation purposes. This will help conserve such species and expansion of tree cover too.

5. Uttar Pradesh Forest Corporation will facilitate the tree owner for certification of standing trees on his farm land.

By order,
SUDHIR GARG,
Pramukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 549 राजपत्र–(हिन्दी)–2020–(1335)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा० पर्यावरण–2020–(1336)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

7/2024/MO

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

विषयः वन विभाग के बिना परमीशन के अवैध कटान किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

सादर आपको अवगत कराना है कि थाना–गोरखनाथ, सोनौली रोड, चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली जी का बागीचा है जिसमें 75 पेड़ अमरूद, 17 पेड़ आम, 3 पेड़ लीची, 1 पेड़ पंजाला व शरीफा व 16 पेड़ सागौन, एक पेड़ नारियल, व 04, बेल का पेड़, एक पेड़ चीकू व नीम व बड़ा नीबू व कटहल का तीन पेड़, शीशम 3 पेड़ है। जिसका गोरखपुर वन विभाग से शिकायत होने पर वन दरोगा द्वारा रोक दिया गया और उसमें 5 पेड़ का परमीशन लेकर पेड़ों की कटाई कराई गई है, जो खसरा बना हुआ है, उसमें पेड़ों की गिनती कम दर्शाया गया है। प्रार्थी यह जानना चाहता है कि वन विभाग कितने पेड़ों का परमीशन दिया है, व जितने पेड़ कटे हैं, उन्हे मिट्टी से ढंक दिया गया है। पूर्व में कई शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है लेकिन वन विभाग द्वारा कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है।

अतः आप श्रीमान् जी से निवेदन है कि गोरखपुर वन विभाग के डी0एफ0ओ0 श्री विकास यादव जी से इसकी आख्या लेते हुए पेड़ों की गिनती करा ली जाए व दोषियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कराने की कृपा प्रदान करें।

प्रार्थी

मेराज अहमद

दिनांकः 02.11.2023

(मेराज अहमद)

मो0–9415304215

सेवा में,

माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण

भारत सरकार नई दिल्ली।

विषय : अवैद्य रूप से पेड़ो को काट कर जिला गोरखपुर के वन अधिकारियों के सह पर पेड़ों को काट कर मिट्टी से ढंक देने वह मुकदमा 4 आदमी की जगह 1 आदमी पर मुकदमा ना लिखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत करा रहा हूं कि राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर दिनांक 02.11.2023 को शिकायत दर्ज कराया था। जिसका पोर्टल संख्या 40018823O4313 है। जिस पर गोरखपुर के क्षेत्रिय वन मुख्यालय द्वारा लेखपाल के खसरे के आधार पर क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वारा 5 पेड़ हरे-भरे व फलदार पेड़ का परमिशन काटने का दे दिया गया। वह 6 पेड़ अवैद्य रूप से काटने पर उत्तर प्रदेश वन अधिनियम 1976 की धारा 4/10 एवं 03/28 के तहत मुकदमा पंजिकृत किया गया है। परंतु आप श्रीमान् जी को बता रहा हूं कि लेखपाल द्वारा जो खसरा बनाया गया है। जिसमें पहला खसरा में पेड़ों की गिनती कम दिखाया गया है। जब इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर दर्ज कराया गया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्व परिषद को इसकी जांच कर रिपोर्ट लगाने के लिये निर्देशित किया गया। तब लेखपाल ने दूसरा खसरा रिपोर्ट लगाया उसमें अमरुद व अन्य पेडों को दर्शाया गया।

यह दोनों खसरा अलग-अलग दिनांक का है। जिसमें लेखपाल व राजस्व परिषद के उच्च अधिकारियों वह गोरखपुर वन विभाग की भूमिका संदिग्ध है। गोरखपुर वन विभाग द्वारा जो 6 पेड़ अवैद्य रूप से कटा हुआ है। उसी के आधार पर वन विभाग ने मात्र एक व्यक्ति के ही ऊपर मुकदमा पंजिकृत किया है। खसरा में 4 फरीक हैं और इन्हीं चार फरीकों के द्वारा दिनांक 02.08.2023 को बिल्डर विकास केजरीवाल को 51-51-51 लाख रुपया लेकर पांच वर्ष के लिये कामर्शिलय बिल्डिंग वह माल बनाने के लिये एग्रिमेंट किया है। जिसमें इन चारों फरीक वह बिल्डर 50-50 के पार्टनर हैं। जिसके नाते पुरे बागिचे को काटने का कार्य करवा रहे है। इस सम्बन्ध में कई सारे प्रार्थना पत्र पूर्व में आप श्रीमान् जी को भेजा गया है। परंतु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पायी है। गोरखपुर वन विभाग गलत रिपोर्ट पर मुकदमा लिखा है। तथा जिन पेडों को काटा गया है। अवैद्य रूप से वह जो परमिशन दिया गया है। 5 पेड़ों का उन पेड़ों का लाइफ व कंडिशन कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि गोरखपुर वन विभाग किस तरह कार्य कर रही है। तथा जो पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभियान पूरे

389677/2024/MO

भारत में वृक्षारोपण अभियान चला कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का योजना चल रही है उसको भंग करने का कार्य गोरखपुर के वन विभाग कर रही है।

अतः आप श्रीमान् जी से अनुरोध है कि

तत्काल प्रभाव से मामले में हस्तक्षेप करते हुये उत्तर प्रदेश वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आदेशित करते हुये इसकी जांच किसी अन्य एजेन्सी से करा लिया जाए। जिससे सच्चाई सामने आ सके तथा उपरोक्त लोगों को खसरे के आधार पर बचे हुये 3 लोगों पर मुकदमा पंजिकृत करने के लिये आदेशित करने की कृपा।

दिनांक : 29.12.2023

संलग्नक छाया प्रतिलिपिः

1. उत्तर प्रदेश वन मंत्री उ0प्र0 वन एवं पर्यायवरण सरकार, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(3) उ0प्र0 सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण ८५८१३७

प्रार्थी
मेराज अहमद उर्फ सूडडू
मेराज अहमद उर्फ सूडडू
मोहल्ला–लच्छीपुर–खास,
थाना–गोरखनाथ
तहसील–सदर
जिला–गोरखपुर
मो0नं0 9415304215

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, उप वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 579 /16–1 दिनांक, गोरखपुर, मार्च, 28 /2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषयः– गोरखपुर के वनक्षेत्र में वन अधिकारियों के मिलीभगत से पेड़ों की अवैध कटाई कर साक्ष्यों को मिटाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा, सतर्कता एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–507/16–52–1 दिनांक 17.01.2024 पर पृष्ठांकित आपका पत्रांक–1863/16एफ–16ए दिनांक 07.02.2024

महोदय,

निवेदन है कि श्री मेराज अहमद का शिकायती पत्र दिनांक 02.11.2023 उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जाच हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है। चूँकि प्रकरण मुख्यालय रेंज गोरखपुर से सम्बन्धित है इसलिये प्रकरण की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक–200/31–1 दिनांक 24.03.2024 द्वारा अपनी जांच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। (प्रति संलग्न है।) अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त आख्या का परीक्षण किया गया। जांच आख्या निम्न प्रकार हैः–

इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 में स्थित बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक–1730/37–1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या–6587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 एवं अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व

..भाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग--5--संख्या--24/81--5--2020--07--93 लखनऊ 07--जनवरी--2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरूद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नही है अर्थात छूट प्रजाति का वृक्ष है। उपरोक्त शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता नही है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि खसरा में चार फरीक है। लेकिन वन विभाग द्वारा एक व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह कहना कि शेष तीन फरीक के नाम से मुकदमा पंजीकृत किया जाय। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन पाये जाने पर मुख्यालय रेंज के अन्तर्गत रेंज केस संख्या--04/2023--24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है। चूँकि श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली के आवेदन पर विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट जारी किया गया हैं अनुमति दिये गये पांच वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों का अवैध पातन परमिट धारक श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा कराया गया। इस लिये परमिट धारक के नाम से रेंज केस संख्या--09/2023--24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है। रेंज केस जांच की प्रकिया में है। जांच के दौरान यदि अन्य कोई दोषी पाया जाता है तो उसका नाम केस मे अभियुक्त के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

अतः जांच आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(डा0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर।

संख्या 579 अ/दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर।

कार्यालय- क्षेत्रीय वनाधिकारी, [illegible] रेंज वन प्रभाग, [illegible]
पत्रांक- 200 / 3-1, दिनांक, [illegible] मार्च- 24/2024

सेवा में,
उप प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] (बिजनौर वन प्रभाग)
[illegible]

विषय- [illegible] के वन क्षेत्र में वन अपराधियों की [illegible] की अवैध कटान [illegible] की स्थिति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक- 572/ [illegible] दिनांक- 20/03/2024

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न श्री [illegible] द्वारा [illegible] के शिकायती पत्र दिनांक- 02/11/2023 में शिकायत कर्ता द्वारा [illegible] शिकायती पत्र में [illegible] के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध [illegible] शाहिद अली पुत्र [illegible] शाहिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध [illegible] उल्लेख करना है कि उक्त [illegible] से शिकायत किया गया है, इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि [illegible] पर [illegible] आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरुद्ध [illegible] रेंज [illegible] उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम- 1976 की धारा- 4/10 [illegible] के अन्तर्गत [illegible] दिनांक- 22/07/2023 पंजीकृत हुआ रेंज केस संख्या- 04/2023-24 दिनांक- 22/07/2023 [illegible] है।

श्री [illegible] पुत्र शाहिद अली द्वारा [illegible] [illegible] खसरा संख्या- 617 में [illegible] आम [illegible] कुल- (05) वृक्षों की कटान के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया [illegible] वृक्षों की कटान के सम्बन्ध में [illegible] [illegible] वृक्षों के [illegible] की जांच कराई गयी है, [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] के पत्रांक- 1730/ 3-4 दिनांक 31/10/23 प्रभागीय वनाधिकारी, [illegible] द्वारा आवेदित (05) वृक्षों की कटान हेतु [illegible] परमिट संख्या- 65,0724 [illegible] किया गया।

[illegible]

पत्रांक संख्या की महत्वपूर्ण पूर्व शासित के अनुमति में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम-02, शीशम-02 व नीम-01 कुल-05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जो कि उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-04/10 एवं अभिवहन नियमावली-1978 की धारा-03/20 के तहत न्यायालय [illegible] में केस संख्या-09/2023-24 दिनांक-13/11/2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के (05) वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं विभिन्न प्रजाति के (06) वृक्षों का अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है, भूमि में स्थित वृक्षों के स्वामित्व [illegible] हेतु राजस्व विभाग द्वारा [illegible] निर्गत किया गया है। उ०प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ०प्र० शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-05, संख्या-24/81-5-2020-07-93 [illegible] 07 जनवरी-2020 में अधिसूचित (29) प्रजाति कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबंधित (29) प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबंधित (29) प्रजाति के वृक्षों का अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। उक्त शासनादेश में वर्णित प्रतिबंधित (29) प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 04/11/2023 में वर्णित आम, नीम, पंजाला, शीशम, [illegible], चिलबिल एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश

में प्रतिबाधित श्रेणी में [illegible] नहीं है अर्थात वृक्ष प्रजाति
को छूट है। उपरोक्त ग्राम [illegible] में वर्णित प्रतिबाधित (29) प्रजाति
के अतिरिक्त किसी काबिल या अकाबिल काश्त पर स्थित अन्य
प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु अनुमति लेने की आव-
श्यकता नहीं है।

शिकायत कर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया ग्राम आमाहौल [illegible] में
(05) व्यक्ति है लेकिन वन विभाग द्वारा (01) व्यक्ति के विरुद्ध
मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शिकायत कर्ता द्वारा यह
कहना कि शेष (03) व्यक्ति के नाम से मुकदमा पंजीकृत
किया जाय। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि (01) वृक्ष आम
का अवैध पातन श्री शहजाद सईफ पुत्र हाफिज अली द्वारा
किया गया था इसलिए इनके नाम से रेंज केस संख्या. 04/2023-24
दिनांक. 22/07/2023 पंजीकृत हुआ है चूंकि श्री शहजाद
सईफ पुत्र हाफिज अली के आवेदन पर विभिन्न प्रजाति के (05)
वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट जारी किया गया तथा
इन्ही के द्वारा अनुमति लिए गए (05) वृक्षों के अतिरिक्त
विभिन्न प्रजाति के (05) वृक्षों का अवैध पातन कराया गया
इसलिए परमिट धारक के नाम से रेंज केस संख्या-07/23-24
दिनांक. 13/11/2023 पंजीकृत किया गया है। केस जांच
की प्रक्रिया में है ~~जांच~~ के दौरान यदि अन्य कोई दोषी पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध
विधिक कार्यवाही की जायेगी। अतः रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(हिमांशु पाण्डे)
वन दरोगा

(वीरबल सिंह)
वीट प्रभारी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
[illegible] रेंज
[illegible] वन प्रभाग, [illegible]